3/10/19 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता उप.। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 18/10/19 को पेश हो। हस्ताक्षर

18/10/19 पत्रावली पेश हुई वकील उभय पक्ष उपस्थित पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 5/11/19 को पेश हो। हस्ताक्षर

5/11/19 ...वली पेश हुई/वकील उभयपक्ष उपस्थित है
P.O. Sb. अवकाश पर/चुनाव कार्य में व्यस्त/
यात्रा पर/अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व
आदेशानुसार दिनांक 14/11/19 को पेश हो।

14/11/19 पत्रावली पेश हुई/वकील उभयपक्ष उपस्थित है
P.O. Sb. अवकाश पर/चुनाव कार्य में व्यस्त/
यात्रा पर/अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व
आदेशानुसार दिनांक 9/12/19 को पेश हो।

9/12/19 ~~पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित प्रार्थीगण के पुकारी गई पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 27/12/19 को पेश हो।~~ हस्ताक्षर

27/12/19 पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश हुई। प्रार्थीगण के ~~[illegible]~~ अधिवक्ता उप.। पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सभी सहखातेदारों को पक्षकार नहीं बनाये जाने के कारण अस्वीकार किया जाता है। [illegible] पत्रावली दाखिल दफ्तर पत्रावली किया गया। पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है पत्रावली ~~[illegible]~~ बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

हस्ताक्षर
उपखण्ड अधिकारी
धोद

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद
मुख्यालय सीकर (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

Scanned with CamScanner

11/4/2018

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मु0 सीकर

बइजलास राजपाल यादव आरएएस

प्रकरण सं0 53/2018/251 (ए) आरटीए

1. कानाराम पुत्र तुलछाराम
2. रतनी देवी पत्नी कानाराम
3. पूर्णसिंह पुत्र कानाराम

समस्त जाति जाट निवासीगण जोडी का बास, पो. नुवा वाया बेरी छौटी तहसील डीडवाना, जिला नागौर

—प्रार्थीगण

बनाम

1. घीसाराम पुत्र बेगा
2. नारायण पुत्र बेगा
3. धन्नी देवी पत्नी भूराराम
4. हरिसिंह पुत्र भूराराम
5. छोटी देवी पुत्री भूराराम
6. नाना देवी पुत्री भूराराम
7. चैनाराम पुत्र मांगू
8. हरिराम पुत्र मांगू
9. श्रवण कुमार पुत्र बालूराम
10. दुर्गाराम पुत्र फूसाराम
11. सूरजभान पुत्र फूसाराम
12. भंवरलाल पुत्र गोपी
13. लिछमी पत्नी गोपी
14. महावीर सिंह पुत्र मोहनसिंह
15. नारायण पुत्र नोलाराम

समस्त जाति जाट निवासीगण गणेशपुरा, तहसील धोद, जिला सीकर

—अप्रार्थीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आवेदन अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति—

1. श्री राजेश माथुर वकील प्रार्थीगण की ओर से
2. श्री रामस्वरूप कुड़ी वकील अप्रार्थीगण सं. 1, 4 व 8 की ओर से

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद (राज.)

निर्णय

दिनांक— 27.12.2019

01. वकील प्रार्थी की ओर से आवेदन अर्न्तगत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया गया, जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम गणेशपुरा तहसील धोद में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 279 रकबा 2.06 हैक्टेयर में प्रार्थी सं. 1 1/2 हक व हिस्से का खातेदार है। प्रार्थी सं. 1 की पत्नी प्रार्थीया सं. 2 उक्त कृषि भूमि में 0.34 हैक्टेयर की खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी सं. 3 शेष रकबा 0.69 हेक्टेयर भूमि के खातेदार काश्तकार

उपखण्ड अधिकारी
धोद, सीकर

Scanned with CamScanner

है। खसरा सं. 279 के दक्षिण में खसरा सं. 349 की तरफ से उत्तर पश्चिम की तरफ खसरा सं. 288, 287 व 278 में से होते हुये कदीमी पुख्ता रास्ता ग्राम लोसल से गांव गणेशपुरा जाता है, जिसे राजस्व नक्शे में डोटेड लाईन से दर्शित किया हुआ है। आवेदन–पत्र के संलग्न नक्शे में भी पीले रंग से दर्शित किया गया है। वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा सं. 278 व 287 के खातेदार काश्तकार अप्रार्थीगण सं. 1 ता 6 है तथा खसरा सं. 288 के खातेदार काश्तकार अप्रार्थीगण सं. 7 ता 15 है। आवेदन–पत्र के संलग्न नक्शे में जो रास्ता लाल लाईन से दर्शाया गया है वह मौके पर मात्र 12 फीट का है किन्तु राजस्व नक्शे में दर्शित नहीं है। प्रार्थीगण की खसरा सं. 279 में जोत करने के लिए करीब 20 फीट का रास्ता आवश्यक है ताकि वह अपने ट्रेक्टर, लड्ढा व कृषि सयंत्र अपनी भूमि में ले जा सके और कृषि कर सकें। प्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा सं. 279 के दक्षिणी ओर जो रास्ता लाल रेखाओं से आवेदन–पत्र के संलग्न नक्शें में दर्शाया गया है वह घुमाव तक ही है। शेष 80 फीट की दूरी पर मौके पर कोई रास्ता मौजूद नहीं है। उक्त करीब 80 फीट की दूरी पर तो नवीन रास्ता कायम किया जाना आवश्यक है, शेष दक्षिणी तरफ जो रास्ता खसरा सं. 288 व 287 के मध्य है, को करीब 20 फीट चौड़ा रास्ता विस्तारित किया जाना आवश्यक है ताकि प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि को जोत सकें। पश्चिमी तरफ जो रास्ता मौके पर मात्र खसरा सं. 278 में से अवस्थित है, वह प्रार्थीगण की कृषि भूमि में आवागमन के लिए लघुत्तम व सुगम रास्ता है। प्रार्थीगण को उक्त रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है, क्योंकि वांछित रास्ते के अलावा और कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण वांछित उक्त रास्ते की एवज में नियमानुसार मूल्य चुकाने में सहमत है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण से इस नवीन रास्ता व पूर्व में विद्यमान रास्ता को चौड़ा करने के लिए कई बार निवेदन किया, किन्तु वे इनकार हो गये। इसलिए यह आवेदन पेश करना आवश्यक हुआ। आवेदन न्यायालय हाजा के श्रवणाधिकार एव क्षेत्राधिकार का होने से उचित कोर्ट फीस स्टाम्प पर पेश है। अतः आवेदन पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण को उसकी कृषि भूमि खसरा सं. 279 वाके ग्राम गणेशपुरा तहसील धोद को जोत करने के लिए आवेदन पत्र के संलग्न नक्शे में लाल रेखाओं से दर्शित रास्ता, जो खसरा सं. 287 व 288 के मध्य अवस्थित है, को 20 फीट चौड़ा रास्ता कायम किया जाकर व घुमाव के पश्चात् 20 फीट चौड़ा नवीन रास्ता कायम किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने का आदेश फरमाया जावें।

02. आवेदन पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं. 2, 3, 5 ता 7 व 9 ता 15 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थीगण सं. 1, 4 व 8 की ओर से अभिभाषक श्री रामस्वरूप कुड़ी ने वकालतनामा पेश कर जवाब पेश किया, जिसमें उल्लेखित किया कि खसरा सं. 279 के दक्षिण में खसरा सं. 349 की तरफ से उत्तर पश्चिम की तरफ खसरा सं. 288, 287, 277 में से होते हुये डोटेड लाईन से कदीमी पुख्ता रास्ता ग्राम लोसल से गणेशपुरा जाना बताया है, तो गलत है। उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कटानी रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा, जिसमें लोसल रोड़ दर्शित किया है वह गलत दर्शित किया है, जो मौके पर नहीं है। आवेदन–पत्र के संलग्न नक्शे में खसरा सं. 287, 288 के दक्षिणी कोने से करीब 12 फीट का कच्चा रास्ता दोनों खसरान के मध्य से खसरा सं. 287 के दक्षिणी तरफ के राजस्व रिकार्ड में सम्मिलित है, जो मौके पर अवस्थित है, गलत अंकित किया है। जबकि मौके पर कोई भी रास्ता या पगडण्डी अवस्थित नहीं है। प्रार्थीगण उत्तरी तरफ के पड़ौसी खेत खसरा सं. 281, 164, 165 से वर्तमान में आवागमन करते है तथा वर्तमान में रास्ता इसी तरफ से मौजूद है, जो रास्ता लघुत्तम व सुगम रास्ता है।

उपखण्ड अधिकारी
धोद (सीकर)

Scanned with CamScanner

प्रार्थीगण के खेत में आवागमन हेतु पूर्व से ही रास्ता उपलब्ध है। अतः प्रार्थीगण के आवेदन को खारिज किया जावें। प्रकरण में तहसीलदार, धोद के पत्रांक/राजस्व/2018/830 दिनांक 11.10.2018 के द्वारा विस्तृत रास्ता प्रस्ताव रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की गई।

03. बहस उभयपक्ष से सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने अपने आवेदन के कथनों को दोहराते हुये तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार रास्ता दिये जाने का निवेदन किया। इसके विपरीत अप्रार्थीगण सं. 1, 4 व 8 के विद्वान अधिवक्ता ने अपने आवेदन के जवाब के कथनों को दोहराया।

04. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा समग्र पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न जमाबंदी संवत् 2071–2074 वाके ग्राम गणेशपुरा के अनुसार खसरा सं. 278 में लच्छा पुत्र बेगा हि. 1/5 जाति जाट सा. देह व बोदू पुत्र बेगा हि. 1/5 जाति जाट सा. देह दर्ज है, जो कि प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है तथा जमाबंदी संवत् 2071–2074 व जमाबंदी संवत 2076–2079 वाके ग्राम गणेशपुरा के अनुसार खसरा सं. 288 में रामकुमारसिंह पुत्र गोपीराम हिस्सा 1/48 जाति जाट सा. देह व सजनादेवी पुत्री बालूराम हिस्सा 1/12 जाति जाट सा. देह खातेदार दर्ज है, जो कि प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है, लेकिन प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन में उक्त सभी आवश्यक पक्षकारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है, जबकि प्रार्थीगणों ने इन्हीं खसरा सं. 278 व 288 वाके ग्राम गणेशपुरा में रास्ते की मांग कर रिलीफ चाही है। इसलिए उक्त खसरान के सभी सहखातेदारों को आवश्यक पक्षकार नहीं बनाये जाने के कारण प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः प्रार्थीगणों का आवेदन अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सभी सहखातेदारों को पक्षकार नहीं बनाये जाने के कारण अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 27.12.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजपाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी, धोद मु0 सीकर

उपखण्ड अधिकारी
धोद म सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मुख्यालय सीकर (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajpal Yadav
Date: 2019.12.31 11:20:13 IST
Reason: SelfAttested
Location: